न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

दावा 28/2020

निर्णय

दिनांक 31.03.2021

कानाराम बनाम छगन

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष तथा वादी कानाराम स्वयं उपस्थित। वादी ने प्रार्थनापत्र बाबत् वाद विड्रा किए जाने के प्रस्तुत कर अभिकथन किया है कि पक्षकारान् आपस में पुत्र–पिता है तथा पक्षकारान् में आपस में राजीनामा हो गया है। जिससे वादी अब इस वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है एवं इसी स्तर पर वाद को विड्रॉ करना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी विड्रॉ किये जाने की अनुमति दी जावे। प्रार्थी वादी द्वारा स्वंय की पहचान के संदर्भ में आधार कार्ड की स्वंय सत्यापित प्रति पेश की है तथा पहचान अधिवक्ता वादी द्वारा की गई है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा विड्रॉ के सम्बन्ध में अनापत्ति व्यक्त की गई है।

हमने उभयपक्षकारान् को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। चुंकि प्रार्थी/स्वयं वादी अब वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए वाद को इसी स्तर पर विड्रॉ करना चाहता है। अतः वाद वादी विड्रॉ के आधार पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
आमेर मुख्यालय जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Legha
Date: 2021.09.10 13:28:07 IST
Reason: SelfAttested